



2026: AHC: 35176

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5102 वर्ष 2026

बूटली देवी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आंजनेय द्विवेदी, आदित्य नारायण शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

- वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या-2 अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर को वाद संख्या-T2017165331024457 (बूटली देवी बनाम राज्य) में याचिकाकर्ता के बहाली आवेदन दिनांक 08.11.2024 को निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देना है।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
- आज पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंततः प्रतिवादी संख्या-2 अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील लालगंज,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिला मिर्जापुर को उपरोक्त आवेदन को कानून के अनुसार सख्ती से, शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद तय करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

फरवरी 17, 2026

स्वाति

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"